महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता / ई–मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

पत्र संख्याःचार–वेतन(परिपत्र)–2020 दिनांक अप्रैल, 07, 2021

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः छठे वेतन आयोग के अनुसार विकल्प के आधार पर आरक्षियों / मुख्य आरक्षियों का 24 वर्षीय / 14 वर्षीय लाभ की तिथि को वेतन निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में कृपया इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः चार–वेतन(परिपत्र)– 2020 दिनांक 07.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आरक्षी / मुख्य आरक्षी जिन्हें दिनांक 01.01.2006 के बाद दिनांक 30.11.2008 तक 24 वर्षीय / 14 वर्षीय लाभ में वेतनमान 5500–9000 ग्रेड पे–4200 / – का लाभ पूर्व से स्वीकृत है और इन आरक्षियों / मुख्य आरक्षियों ने छठें वेतन आयोग का चयन विकल्प के आधार पर दिनांक 01.01.2006 से छठें वेतन आयोग में निर्धारित करने के बाद 24 वर्षीय / 14 वर्षीय लाभ की तिथि को रू0 14,430 / – निर्धारित कर प्रकरण पेंशन हेतु प्रकरण पुलिस मुख्यालय प्रेषित किया जा रहा है, जबकि शासनादेश दिनांकित 08.12.2008, 04.05.2010 एवं 05.11.2014 के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से छठें वेतन आयोग का चयन विकल्प के आधार पर करने के कारण 24 वर्षीय / 14 वर्षीय लाभ की तिथि को ग्रेड पे के अन्तर का लाभ देते हुए वेतन रू0 13,500 / – ही शासनादेश के अनुसार निर्धारण योग्य है।

2– प्रायः देखा जा रहा है कि न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने एवं पुलिस मुख्यालय से पत्राचार करने हेतु परिपत्र दिनांक 07.07.2020 का ही उल्लेख किया जा रहा है, जबकि उक्त परिपत्र शासनादेश दिनांकित 08.12.2008, 04.05.2010 एवं 05.11.2014 का अनुपालन कराये जाने हेतु जारी किया गया था। परिपत्र का उद्देश्य शासनादेश में अंकित निर्देशों का अनुपालन कराना था। वेतन सम्बन्धी नियम एवं शर्ते शासनादेश में ही सन्हित है।

3– अतः वर्णित परिस्थितियों में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः चार–वेतन(परिपत्र)– 2020 दिनांक 07.07.2020 का उल्लेख करने के स्थान पर शासनादेश दिनांकित 08.12.2008, 04.05.2010 एवं 05.11.2014 का ही स्पष्ट रूप से अंकन कर पत्राचार एवं अन्य कार्यवाही की जाय। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय

8/3/4

(बी0पी0 जोगदण्ड)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–वित्त नियत्रंक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2–अनुभाग अधिकारी, आन्तरिक कार्मिक सेल, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3–प्रभारी आई0टी0 सेल, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को ई–मेल कराने हेतु।